प्रति,

माननीय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार,

बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: अनावेदक की विधिवत पंजीकृत एवं नामांतरित भूमि खसरा नंबर 133/342 से भिन्न खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 में कथित अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण दर्शाकर पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश को तथ्यात्मक भ्रम एवं अभिलेखीय विसंगति के आधार पर निरस्त किए जाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं सुनील कुमार प्रजापति, उम्र 38 वर्ष, पिता – श्री चिंतानी लाल प्रजापति, जाति – कुम्हार (पिछड़ा वर्ग), पेशा – व्यवसाय, लिंग – पुरुष, निवासी – कोटा रोड वाई नं. 2, जैतखाम के पास, विकास नगर, गुडियारी, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.), आधार क्रमांक 9522 2894 5348,

निम्न निवेदन प्रस्तुत करता हूँ—

1) कि मैंने विक्रेता श्री कमल सिंह बरगाह, पिता – श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, निवासी – गोड़ियापारा दीपरसती, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) से मौजा दोमुहानी, पट.नं.–43, रा.नि.–सिरगिट्टी, तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 133/338 में से सितंबर 2022 में 1522 वर्गफुट भूमि विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की थी।

2) उक्त भूमि का नामांतरण एवं डायवर्जन वैध रूप से मेरे नाम स्वीकृत है तथा वर्तमान में उसका नया खसरा नंबर 133/342 दर्ज है। क्रय उपरांत वर्ष 2022 से ही मैं उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्मित कर कब्जाधारी हूँ।

3) निवेदन है कि भूमि खसरा नंबर 133/338, कुल रकबा 65 डिसमिल, को राजस्व अभिलेखों के आधार पर 14 पृथक–पृथक प्लॉटों में विभाजित किया गया है, जो एक–दूसरे से सटे हुए हैं। प्रत्येक भूमि स्वामी द्वारा अपनी–अपनी भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण कर वास्तविक एवं शांतिपूर्ण कब्जा स्थापित है। स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 133/3 अथवा 133/85 उक्त खसरा नंबर 133/338 के भाग, उपखंड या उससे उत्पन्न प्लॉट नहीं हैं तथा वे भौगोलिक एवं अभिलेखीय दृष्टि से उक्त भूमि परिसर में स्थित नहीं हैं। अतः इन खसरा नंबरों को मेरे स्वामित्वाधीन भू–भाग से संबंधित दर्शाया जाना तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

4) मैंने मई 2025 से अपनी उक्त वैध रूप से क्रय भूमि खसरा नंबर 133/342 पर आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जो जनवरी माह में पूर्ण हो चुका है। केवल कुछ डिजाइन एवं आंतरिक रंग–रोगन का कार्य शेष था।

5) मेरी अनुपस्थिति के दौरान बाबू गुप्ता, राम गुप्ता एवं राहुल गुप्ता पिता – श्री शंकरलाल गुप्ता, निवासी – शांतिकुंज गली, विद्यानगर, बिलासपुर द्वारा मेरे मजदूरों को डरा–धमकाकर निर्माण कार्य बंद करवाया गया, उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में पूर्व में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर एन.सी.आर. क्रमांक 0025 /2026 दिनांक 08 /02/2026 दर्ज है। पुलिस अभिलेख में भी यह तथ्य विद्यमान है कि मेरा निर्माण कार्य खसरा नंबर 133/342 पर स्थित है।

6) उक्त व्यक्तियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मैंने खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया है तथा आपके न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया गया।

7) निवेदन है कि मेरा निर्मित आवासीय भवन विधिवत क्रय की गई भूमि, वर्तमान खसरा नंबर 133/342 (जो मूल खसरा नंबर 133/338 का भाग है) पर स्थित है, न कि खसरा नंबर 133/3 अथवा 133/85 पर। अतः आवेदक द्वारा जिन खसरा नंबरों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है, वे मेरी स्वामित्वाधीन भूमि से सर्वथा भिन्न एवं असंबद्ध हैं।

8) यह भी निवेदन है कि क्या आवेदक द्वारा ऐसा कोई वैध राजस्व अभिलेख, नक्शा या सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 मेरी भूमि खसरा नंबर 133/342 से सटे हुए हैं अथवा मैंने उस पर अतिक्रमण किया है? यदि ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो केवल एकपक्षीय कथन के आधार पर स्थगन आदेश पारित होना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि—

- मेरे वैध रूप से क्रय एवं अभिलेखों में दर्ज भूमि खसरा नंबर 133/342 पर निर्मित भवन के संबंध में पारित स्थगन आदेश को तथ्यात्मक त्रुटि के आधार पर तत्काल निरस्त (खारिज) किया जाए।
- मेरी भूमि खसरा नंबर 133/342 पर वैध निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न की जाए।।

अनावेदक

दिनांकः

सुनील कुमार प्रजापति

स्थानः

पिता– श्री चिंतानी लाल प्रजापति

रेल विहार कॉलोनी , देवरीखुर्द बिलासपुर (छ.ग.)

मो.: 9926878174

संलग्न :

1) विक्रय विलेख की छायाप्रति
2) नामांतरण/डायवर्जन आदेश की छायाप्रति
3) थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में दर्ज एन.सी.आर. क्रमांक 0025/2026 दिनांक 08/02/2026 की प्रमाणित/सत्यापित छायाप्रति।
4) माननीय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित स्थगन आदेश की छायाप्रति
5) वर्तमान स्थल स्थिति के समस्त प्लॉटों एवं मेरे आवासीय भवन के फोटोग्राफ संलग्न हैं।

प्रति,

थाना प्रभारी महोदय,

थाना – तोरवा,

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: एन.सी.आर. क्रमांक 0025/2026 दिनांक 08/02/2026 के संदर्भ में, मेरे खसरा नं. 133/342 से भिन्न खसरों पर आधारित स्थगन आदेश से उत्पन्न विवाद के संबंध में।

महोदय,

मैं सुनील कुमार प्रजापति, उम्र 38 वर्ष, पिता दृ श्री चिंतानी लाल प्रजापति, निवासी – कोटा रोड वाई नं. 2, जैतखाम के पास, विकास नगर, गुडियारी, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.), सविनय निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत करता हूँ—

तथ्य इस प्रकार हैं—

1) कि मैंने विक्रेता श्री कमल सिंह बरगाह, पिता दृ श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, निवासी दृ गोंडियापारा दीपारस्ती, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) से मौजा दोंमहानी, पटवारी हल्का नं. 43, राजस्व निरीक्षक मंडल सिरगिट्टी, तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नं. 133/338 में से सितम्बर 2022 में 1522 वर्गफुट भूमि विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय की थी।
2) उक्त भूमि का नामांतरण एवं डायवर्जन विधिवत मेरे नाम स्वीकृत है तथा वर्तमान में उसका नवीन खसरा नं. 133/342 दर्ज है। वर्ष 2022 से ही मैं उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्मित कर वैध कब्जाधारी हूँ।
3) खसरा नं. 133/338 (कुल रकबा 65 डिसमिल) को राजस्व अभिलेखों के आधार पर 14 पृथक प्लॉटों में विभाजित किया गया है। खसरा नं. 133/3 एवं 133/85 उक्त भूमि से भिन्न एवं असंबद्ध हैं तथा भौगोलिक एवं अभिलेखी दृष्टि से मेरी भूमि से संबंधित नहीं हैं। अतः इन खसरों के आधार पर मेरी स्वामित्वाधीन भूमि से विवाद जोड़ना तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।
4) मैंने मई 2025 से खसरा नं. 133/342 पर आवासीय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जो जनवरी माह में पूर्ण हो चुका है। केवल आंतरिक रंग–रोगन आदि का कार्य शेष था।
5) मेरी अनुपस्थिति में बाबू गुप्ता, राम गुप्ता एवं राहुल गुप्ता, पिता – श्री शंकरलाल गुप्ता, निवासी – शांतिकुंज गली, विद्यानगर, बिलासपुर द्वारा मेरे मजदूरों को डराकर–धमकाकर निर्माण कार्य बंद कराया गया। इस संबंध में मेरे द्वारा थाना तोरवा में पूर्व में शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर एन.सी.आर. क्रमांक 0025/2026 दिनांक 08/02/2026 दर्ज है। पुलिस अभिलेख में भी यह तथ्य दर्ज है कि निर्माण कार्य खसरा नं. 133/342 पर स्थित है।

अतः निवेदन है कि—

- पूर्व दर्ज एन.सी.आर. के संदर्भ में वर्तमान तथ्यों को भी संज्ञान में लिया जाए।
- राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।
- मेरे विरुद्ध असंबंधित खसरों के आधार पर उत्पन्न किए जा रहे विवाद एवं अनावश्यक दबाव को रोका जाए।
- शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

आवेदक

दिनांकः
स्थानः

सुनील कुमार प्रजापति पिता– श्री चिंतानी लाल प्रजापति
रेल विहार कॉलोनी , देवरीखुर्द बिलासपुर (छ.ग.)

संलग्न :

1) विक्रय विलेख की छायाप्रति
2) नामांतरण/डायवर्जन आदेश की छायाप्रति
3) थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में दर्ज एन.सी.आर. क्रमांक 0025/2026 दिनांक 08/02/2026 की प्रमाणित/सत्यापित छायाप्रति।
4) माननीय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित स्थगन आदेश की छायाप्रति
5) वर्तमान स्थल स्थिति के समस्त प्लॉटों एवं मेरे आवासीय भवन के फोटोग्राफ संलग्न हैं।

प्रति,

माननीय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय,

जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय: अनावेदक की विधिवत पंजीकृत एवं नामांतरित भूमि खसरा नंबर 133/342 से भिन्न खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 में कथित अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण दर्शाकर पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश को तथ्यात्मक भ्रम एवं अभिलेखीय विसंगति के आधार पर निरस्त किए जाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं सुनील कुमार प्रजापति, उम्र 38 वर्ष, पिता – श्री चिंतानी लाल प्रजापति, जाति – कुम्हार (पिछड़ा वर्ग), पेशा – व्यवसाय, लिंग – पुरुष, निवासी – कोटा रोड वाई नं. 2, जैतखाम के पास, विकास नगर, गुडियारी, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.), आधार क्रमांक 9522 2894 5348,

निम्न निवेदन प्रस्तुत करता हूँ—

9) कि मैंने विक्रेता श्री कमल सिंह बरगाह, पिता – श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, निवासी – गोड़ियापारा दीपरसती, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) से मौजा दोमुहानी, पट.नं.–43, रा.नि.–सिरगिट्टी, तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 133/338 में से सितंबर 2022 में 1522 वर्गफुट भूमि विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की थी।

10) उक्त भूमि का नामांतरण एवं डायवर्जन वैध रूप से मेरे नाम स्वीकृत है तथा वर्तमान में उसका नया खसरा नंबर 133/342 दर्ज है। क्रय उपरांत वर्ष 2022 से ही मैं उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्मित कर कब्जाधारी हूँ।

11) निवेदन है कि भूमि खसरा नंबर 133/338, कुल रकबा 65 डिसमिल, को राजस्व अभिलेखों के आधार पर 14 पृथक–पृथक प्लॉटों में विभाजित किया गया है, जो एक–दूसरे से सटे हुए हैं। प्रत्येक भूमि स्वामी द्वारा अपनी–अपनी भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण कर वास्तविक एवं शांतिपूर्ण कब्जा स्थापित है। स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 133/3 अथवा 133/85 उक्त खसरा नंबर 133/338 के भाग, उपखंड या उससे उत्पन्न प्लॉट नहीं हैं तथा वे भौगोलिक एवं अभिलेखीय दृष्टि से उक्त भूमि परिसर में स्थित नहीं हैं। अतः इन खसरा नंबरों को मेरे स्वामित्वाधीन भू–भाग से संबंधित दर्शाया जाना तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

12) मैंने मई 2025 से अपनी उक्त वैध रूप से क्रय भूमि खसरा नंबर 133/342 पर आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जो जनवरी माह में पूर्ण हो चुका है। केवल कुछ डिजाइन एवं आंतरिक रंग–रोगन का कार्य शेष था।

13) मेरी अनुपस्थिति के दौरान बाबू गुप्ता, राम गुप्ता एवं राहुल गुप्ता पिता – श्री शंकरलाल गुप्ता, निवासी – शांतिकुंज गली, विद्यानगर, बिलासपुर द्वारा मेरे मजदूरों को डरा–धमकाकर निर्माण कार्य बंद करवाया गया, उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में पूर्व में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर एन.सी.आर. क्रमांक 0025 /2026 दिनांक 08 /02/2026 दर्ज है। पुलिस अभिलेख में भी यह तथ्य विद्यमान है कि मेरा निर्माण कार्य खसरा नंबर 133/342 पर स्थित है।

14) उक्त व्यक्तियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मैंने खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया है तथा आपके न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया गया।

15) निवेदन है कि मेरा निर्मित आवासीय भवन विधिवत क्रय की गई भूमि, वर्तमान खसरा नंबर 133/342 (जो मूल खसरा नंबर 133/338 का भाग है) पर स्थित है, न कि खसरा नंबर 133/3 अथवा 133/85 पर। अतः आवेदक द्वारा जिन खसरा नंबरों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है, वे मेरी स्वामित्वाधीन भूमि से सर्वथा भिन्न एवं असंबद्ध हैं।

16) यह भी निवेदन है कि क्या आवेदक द्वारा ऐसा कोई वैध राजस्व अभिलेख, नक्शा या सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 मेरी भूमि खसरा नंबर 133/342 से सटे हुए हैं अथवा मैंने उस पर अतिक्रमण किया है? यदि ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो केवल एकपक्षीय कथन के आधार पर स्थगन आदेश पारित होना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि—

- मेरे वैध रूप से क्रय एवं अभिलेखों में दर्ज भूमि खसरा नंबर 133/342 पर निर्मित भवन के संबंध में पारित स्थगन आदेश को तथ्यात्मक त्रुटि के आधार पर तत्काल निरस्त (खारिज) किया जाए।
- मेरी भूमि खसरा नंबर 133/342 पर वैध निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न की जाए।।

अनावेदक

दिनांकः

सुनील कुमार प्रजापति

स्थानः

पिता– श्री चिंतानी लाल प्रजापति

रेल विहार कॉलोनी , देवरीखुर्द बिलासपुर (छ.ग.)

मो.: 9926878174

संलग्न :

1) विक्रय विलेख की छायाप्रति
2) नामांतरण/डायवर्जन आदेश की छायाप्रति
3) थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में दर्ज एन.सी.आर. क्रमांक 0025/2026 दिनांक 08/02/2026 की प्रमाणित/सत्यापित छायाप्रति।
4) माननीय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित स्थगन आदेश की छायाप्रति
5) वर्तमान स्थल स्थिति के समस्त प्लॉटों एवं मेरे आवासीय भवन के फोटोग्राफ संलग्न हैं।

प्रति,

माननीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय,

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय: अनावेदक की विधिवत पंजीकृत एवं नामांतरित भूमि खसरा नंबर 133/342 से भिन्न खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 में कथित अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण दर्शाकर पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश को तथ्यात्मक भ्रम एवं अभिलेखीय विसंगति के आधार पर निरस्त किए जाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं सुनील कुमार प्रजापति, उम्र 38 वर्ष, पिता – श्री चिंतानी लाल प्रजापति, जाति – कुम्हार (पिछड़ा वर्ग), पेशा – व्यवसाय, लिंग – पुरुष, निवासी – कोटा रोड वाई नं. 2, जैतखाम के पास, विकास नगर, गुडियारी, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.), आधार क्रमांक 9522 2894 5348,

निम्न निवेदन प्रस्तुत करता हूँ—

17) कि मैंने विक्रेता श्री कमल सिंह बरगाह, पिता – श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, निवासी – गोड़ियापारा दीपरसती, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) से मौजा दोमुहानी, पट.नं.–43, रा.नि.–सिरगिट्टी, तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 133/338 में से सितंबर 2022 में 1522 वर्गफुट भूमि विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की थी।

18) उक्त भूमि का नामांतरण एवं डायवर्जन वैध रूप से मेरे नाम स्वीकृत है तथा वर्तमान में उसका नया खसरा नंबर 133/342 दर्ज है। क्रय उपरांत वर्ष 2022 से ही मैं उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्मित कर कब्जाधारी हूँ।

19) निवेदन है कि भूमि खसरा नंबर 133/338, कुल रकबा 65 डिसमिल, को राजस्व अभिलेखों के आधार पर 14 पृथक–पृथक प्लॉटों में विभाजित किया गया है, जो एक–दूसरे से सटे हुए हैं। प्रत्येक भूमि स्वामी द्वारा अपनी–अपनी भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण कर वास्तविक एवं शांतिपूर्ण कब्जा स्थापित है। स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 133/3 अथवा 133/85 उक्त खसरा नंबर 133/338 के भाग, उपखंड या उससे उत्पन्न प्लॉट नहीं हैं तथा वे भौगोलिक एवं अभिलेखीय दृष्टि से उक्त भूमि परिसर में स्थित नहीं हैं। अतः इन खसरा नंबरों को मेरे स्वामित्वाधीन भू–भाग से संबंधित दर्शाया जाना तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

20) मैंने मई 2025 से अपनी उक्त वैध रूप से क्रय भूमि खसरा नंबर 133/342 पर आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जो जनवरी माह में पूर्ण हो चुका है। केवल कुछ डिजाइन एवं आंतरिक रंग–रोगन का कार्य शेष था।

21) मेरी अनुपस्थिति के दौरान बाबू गुप्ता, राम गुप्ता एवं राहुल गुप्ता पिता – श्री शंकरलाल गुप्ता, निवासी – शांतिकुंज गली, विद्यानगर, बिलासपुर द्वारा मेरे मजदूरों को डरा–धमकाकर निर्माण कार्य बंद करवाया गया, उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में पूर्व में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर एन.सी.आर. क्रमांक 0025 /2026 दिनांक 08 /02/2026 दर्ज है। पुलिस अभिलेख में भी यह तथ्य विद्यमान है कि मेरा निर्माण कार्य खसरा नंबर 133/342 पर स्थित है।

22) उक्त व्यक्तियों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मैंने खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया है तथा आपके न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया गया।

23) निवेदन है कि मेरा निर्मित आवासीय भवन विधिवत क्रय की गई भूमि, वर्तमान खसरा नंबर 133/342 (जो मूल खसरा नंबर 133/338 का भाग है) पर स्थित है, न कि खसरा नंबर 133/3 अथवा 133/85 पर। अतः आवेदक द्वारा जिन खसरा नंबरों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है, वे मेरी स्वामित्वाधीन भूमि से सर्वथा भिन्न एवं असंबद्ध हैं।

24) यह भी निवेदन है कि क्या आवेदक द्वारा ऐसा कोई वैध राजस्व अभिलेख, नक्शा या सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि खसरा नंबर 133/3 एवं 133/85 मेरी भूमि खसरा नंबर 133/342 से सटे हुए हैं अथवा मैंने उस पर अतिक्रमण किया है? यदि ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो केवल एकपक्षीय कथन के आधार पर स्थगन आदेश पारित होना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि—

- मेरे वैध रूप से क्रय एवं अभिलेखों में दर्ज भूमि खसरा नंबर 133/342 पर निर्मित भवन के संबंध में पारित स्थगन आदेश को तथ्यात्मक त्रुटि के आधार पर तत्काल निरस्त (खारिज) किया जाए।
- मेरी भूमि खसरा नंबर 133/342 पर वैध निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न की जाए।।

अनावेदक

दिनांकः

सुनील कुमार प्रजापति

स्थानः

पिता– श्री चिंतानी लाल प्रजापति

रेल विहार कॉलोनी , देवरीखुर्द बिलासपुर (छ.ग.)

मो.: 9926878174

संलग्न :

1) विक्रय विलेख की छायाप्रति
2) नामांतरण/डायवर्जन आदेश की छायाप्रति
3) थाना तोरवा, जिला बिलासपुर में दर्ज एन.सी.आर. क्रमांक 0025/2026 दिनांक 08/02/2026 की प्रमाणित/सत्यापित छायाप्रति।
4) माननीय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित स्थगन आदेश की छायाप्रति
5) वर्तमान स्थल स्थिति के समस्त प्लॉटों एवं मेरे आवासीय भवन के फोटोग्राफ संलग्न हैं।